

# प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 25.02.2026

## नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा गवन कर लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 511/2025 धारा 319(2)/318(4)/316(2)/338/ 336(3)/ 340(2)/ 351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त चन्द्रशेखर राजभर पुत्र शिवराज राजभर निवासी शिवपुरा कौड़िपुरा पो0 रामपुर रकबा थाना चौरी चौरी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर वादी से 5,45,000 रुपये लेने व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चन्द्रशेखर राजभर पुत्र शिवराज राजभर निवासी शिवपुरा कौड़िपुरा पो0 रामपुर रकबा थाना चौरी चौरी जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-511/2025 धारा 319(2),318(4),316(2),338,336(3),340(2),351(3) बीएनएस थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।

### गिरफ्तारी की टीम-

1. अनूप सिंह थानाध्यक्ष थाना झंगहा गोरखपुर।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार राम थाना झंगहा गोरखपुर।
3. हे0का0 अजीत सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।
4. का0 राघवेन्द्र सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।